मसाइले जनाज़ा

42

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सब जहानों का पालनहार है। हम उसी से मदद और माफ़ी तलब करते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि व सल्लम पर और आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।

अम्मा बअद !

अक्सर मक़ामात पर किसी की मौत वाली बीमारी हो या किसी के फ़ौत हो जाने के बाद का मामला, कफ़न का वक़्त हो या दफ़न का, जियारते कुबूर का मौक़ा हो या इसाले सवाब का तरीक़ा हर मामले में बिदआत का अम्बार नज़र आता है जो कभी शिर्क तक जा पहुंचता है। इसलिए ज़रूरी मेहसूस हुआ कि इन से मुताअल्लिक़ जो शरीअत के अहकाम हैं वो आम मुसलमानों के इल्म में लाए जाएं। हमारा मक़सद किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि अपने और अपने मुस्लिम भाईयों के लिए हक़ को वाज़ेह करना है। ताकि आम मुसलमान कुरआन व सुन्नते रसूल सल्ल. के मुताबिक अमल करें और बिदआत से बचें।

मौत और मय्यत के मसाइल

1. अल्लाह तआला से मुलाक़ात की ख़्वाहिश रखना चाहिये। (मुस्लिम–7053,नसाई–1839, तिर्मिज़ी–937)

2. मौत से नफ़रत नहीं करना चाहिये। (मुसनद अहमद,सिलसिला अहादीस अल सहीहा–813)

3. मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिये। (मुस्लिम–7051,तिर्मिज़ी–851, नसाई–1821–22)

4. शदीद तक्लीफ़ में अगर मौत की आरज़ू (तमन्ना) करें तो इस तरह करें ''या अल्लाह मुझे उस वक़्त तक ज़िन्दा रख। जब तक मेरे ज़िन्दा रहने में भलाई हैं और मुझे उस वक़्त मौत दे दे जब मौत में मेरे लिए भलाई हो।'' (मुस्लिम–7047,नसाई–1825,अबुदाऊद –3108)

5. शहादत की मौत के लिए आरज़ू और दुआ करना जाइज़ है। (बुख़ारी–2797)

6. मौत की तक्लीफ नाक़ाबिले बयान है। (बुख़ारी–890,1389,नसाई–1833, तिमिर्जि–859)

7. मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना चाहिये। (नसाई–1827,इब्नेमाजा–सही)

8. मरने वाले के क़रीब बैठकर ''ला इलाहा इल्लललाह'' पढ़ना बेहतर है। (मुस्लिम–1558,नसाई 1829, इब्ने माजा–1444,अबुदाऊद–3117, तिर्मिज़ी–856)

9. मौत के वक़्त अल्लाह से बख़्शिश और माफ़ी की उम्मीद रखना चाहिये।(अबुदाऊद 3113,मुस्लिम)

10. मरते वक़्त कलमा पढ़ना बाइसे निजात है। यानि ऐसा शख़्स जन्नत में दाखिल होगा। (बुख़ारी–1237)

11. हर मुसलमान को ख़ात्मा बिल ख़ैर की दुआ करना चाहिये। (बुख़ारी–1238, अबुदाऊद–3116)

12. मौत के वक़्त पैशानी (माथे) पर पसीना आना ईमान की निशानी है। (इब्ने माजा–1452, नसाई–1831 सही)

13. कर्ज़ के अलावा शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते है। (नसाई–1548,मुस्लिम)

14. बुरी मौत से पनाह मांगना अच्छी बात है। आप सल्ल. यह दुआ मांगा करते थे ''या अल्लाह बुढ़ापे की उम्र में मरने, ऊंचाई से गिर कर मरने, किसी चीज़ के ऊपर से गिरने से होनी वाली और ग़म (सदमे) से आने वाली मौत से, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरने से, मौत के वक़्त शैतान के किसी भी हमले से, जहरीले जानवर के काटने से आनी वाली मौत से और तेरी राह (जिहाद) में पीठ देकर मरने से तेरी पनाह मांगता हूँ।'' (नसाई–5536–सही)

15. खुदकुशी (आत्महत्या) नहीं करना चाहिये। क्योकि ऐसा करने वाला जहन्नमी है। जिस तरह कोई शख़्स खुदकुशी करेगा जहन्नम में वह उसी हालत में रहेगा। (बुख़ारी–1365)
16. जिस शख़्स के पास कोई क़ाबिले वसीयत चीज़ हो उसे वसीयत लिखकर रखना चाहिये। (तिर्मिज़ी–854,बुखारी,मुस्लिम)
17. मौत के वक़्त किसी शख़्स को अपने सारे माल की एक तिहाई (1/3) से ज्यादा माल सदक़ा करने की वसीयत नहीं करना चाहिये। (बुख़ारी–1295,तिर्मिज़ी–855, मुसनद अहमद)
18. मरने के बाद मय्यत की आंखे बन्द कर देना चाहिये।
19. मय्यत के पास ख़ैर व भलाई की बातें करना चाहिये। (अबुदाऊद–3118, इब्ने माजा–हसन)
20. किसी के मरने पर यह अल्फ़ाज कहना चाहिये। ''हम सब अल्लाह के लिए है और हम सभी को उसी की तरफ़ लोटना है। या अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत के बदले बेहतर अज्रदे और इससे बेहतर अता फ़रमा।'' (मुस्लिम–1559, अबुदाऊद–3119)
21. मय्यत को चादर से ढांप (ढ़क) देना चाहियें। (अबुदाऊद–3120,बुखारी–मुस्लिम)
22. मय्यत के वुरसा को मय्यत का क़र्ज़ फ़ौरन अदा करना चाहिये। (तिर्मिज़ी–949, इब्नेमाजा–सही)
23. मौत की ख़बर भिजवाना जाइज़ है। (बुख़ारी–1245, मुस्लिम–1612)
24. मरने वाले की ख़ूबियों का ज़िक्र करना चाहिये। (बुख़ारी–1367,नसाई)
25. ग़म की हालत में मय्यत पर चीख़ कर रोना, चिल्लाना व मातम करना मना है। (बुख़ारी–1294, मुस्लिम)
26. जिस घर में मातम और नोहा करने की रस्म हो उस घर में मरने वाला अगर अपने मरने से पहले नोहा करने से मना न करे तो मरने के बाद नोहा करने वालों का अज़ाब मय्यत को होगा। (बुख़ारी–1291)
27. अगर मरने वाला नोहा और मातम करने की वसीयत कर जाए तब भी नोहा करने वालों का अज़ाब मय्यत को होगा। (मुस्लिम, बुखारी–1291)
28. किसी अपने की मौत पर सब्र करने का बदला जन्नत है। (नसाई–1874–सही)
29. सवाब के क़ाबिल सब्र वही है जो सदमे के फ़ौरन बाद किया जाए। (बुख़ारी–1252, 1302, इब्नेमाजा–1596)
30. मय्यत पर खामोशी से आंसू बहाना और रोना जाइज़ है। (अबुदाऊद–3126 इब्ने माजा–सही)
31. मय्यत पर सब्र करना जहन्नम की आग से रूकावट और जन्नत में घर पाने का ज़रिया है। (बुख़ारी–1249)
32. अहले ईमान के वफ़ात पाने वाले नाबालिग़ बच्चे जन्नत में जाते है। (बुख़ारी–1381,1382)
33. मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ारे इस्लाम के वफ़ात पाने वाले नाबालिग़ बच्चों का मामला अल्लाह के पास है। (बुख़ारी–1384)

तअज़ियत के मसाइल

1. तअज़ियत करना सुन्नत है। तअज़ियत करने वाले को क़यामत के दिन हरा लिबास पहनाया जाएगा। (इब्ने असाकिर, ख़तीब–हसन)
2. मय्यत के लिए दुआ करते वक़्त अपने लिए भी दुआ करना चाहिये (मुस्लिम–1560)
3. मय्यत के पास बैठकर भली बाते करना चाहियें।
4. तअज़ियत इन अलफ़ाज़ से करना बेहतर है ''या अल्लाह मुझे और इस (मय्यत) को बख़्श दे। हिदायत याफ़्ता लोगों में इसका दर्जा बुलन्द कर और इसके वारिसों की हिफ़ाज़त फ़रमा। या अल्लाह हम सब को और मरने वाले को माफ़ फ़रमा। मय्यत की क़ब्र को कुशादा कर दे और उसे नूर से भर दे।'' (मुस्लिम–1560)
5. किसी अज़ीज़ या किसी भी क़रीबी रिश्तेदार की मौत पर तीन दिनों से ज़्यादा सोग (मातम) करना जाइज़ नहीं है। (बुख़ारी–1281)
6. औरत का अपने शौहर की मौत पर चार माह दस दिन से ज़्यादा सोग करना जाइज़ नहीं है। (बुख़ारी–1282,मुस्लिम)
7. जिस घर में किसी की मौत हो जाए उनके यहां खाना पकवाकर भिजवाना सुन्नत है।

(इब्ने माजा–1610, अबुदाऊद–3132–हसन)
8. तअज़ियत के मौके़ पर बैन करना, चीख़ना–चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, गाल पीटना और मातम करना मना है। (बुख़ारी–1298, मुस्लिम)
9. तअज़ियत के वक़्त ख़ामोशी से आंसू बहाना या रोना जाइज़ है। (बुख़ारी–1285, इब्ने माजा)
10. मय्यत को दफ़न करने के बाद अहले मय्यत के घर जमा होना और उनके यहां खाना खाना जाइज़ नहीं। (इब्ने माजा–1612–सही)
11. किसी के मरने पर चिल्लाकर रोना, सर मुन्डवाना और गिरेबान फाड़ना मना (हराम) है। (बुख़ारी–1296)
12. मय्यत (मरने वाले) की बुराई नहीं करना चाहियें। (बुख़ारी–1393)

ग़ुस्ले मय्यत के मसाइल

1. मय्यत को गुस्ल देने से पहले अच्छी तरह टटोलना चाहिये ताकि अगर पेट में कुछ हो तो वह बाहर निकल जाए। (मुस्तदरक हाकिम, बैहक़ी–सही)
2. मय्यत के गुस्ल की शुरूआत वुजु से करना चाहिये। (बुख़ारी–1253)
3. गुस्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में बैरी के पत्ते डालना मसनून है। (बुखारी–1254)
4. गुस्ल ताक (तीन, पांच या सात) दफ़ा देना चाहिये। (बुख़ारी–1258, मुस्लिम–1558)
5. आख़िरी बार गुस्ल देने के लिए पानी में काफूर डालना बेहतर है। (बुख़ारी–1263)
6. मय्यत अगर औरत हो तो गुस्ल के बाद सर के बालों की तीन चोटियां बना कर पीछे डाल देना चाहियें। (बुख़ारी–1254, इब्ने माजा–1458, अबुदाऊद–3142)
7. गुस्ल देने वाला या वाली मय्यत में अगर कोई नागवार चीज़ देखे तो उसकी पर्दा पोशी करे। (तबरानी,सिलसिला अहादीस अल सहीहा–2353)
8. मय्यत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना और कन्धा देने के बाद वुजु करना अच्छी बात है। (अबुदाऊद–3161, तिर्मिज़ी–हसन)
9. शहीद के लिए गुस्ल नहीं। (बुख़ारी–1343, अबुदाऊद–3135)
10. शोहर बीवी को और बीवी शोहर को बिला किराहत गुस्ल दे सकते हैं। (इब्ने माजा–1464, 1465, मुसनद अहमद–हसन)
11. मय्यत को गुस्ल देने के लिए पर्दे का ख़याल रखना ज़रूरी है। (अबुदाऊद–3140,मुस्लिम)

कफ़न के मसाइल

1. जिन्दगी में जो मय्यत का सर परस्त हो, वही कफ़न तैयार करने–कराने का ज़्यादा ज़िम्मेदार है। (अबुदाऊद–3148–सही)
2. कफ़न साफ़–सुथरा और अच्छे कपड़े से बनाना चाहिये। (इब्ने माजा–1474, तिर्मिज़ी–सही)
3. किसी मोहताज या बेसहारा मय्यत के लिए कफ़न तैयार करने वाला सवाब का हक़दार है। (सिलसिला अहादीस अल सहीहा–2353, तबरानी)
4. मर्द को तीन कपड़ो में कफ़न देना चाहिये।
5. कफ़न के लिए सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है। (बुख़ारी–1264, मुस्लिम–1599)
6. औरत के कफ़न में पांच कपड़े इस्तेमाल करना चाहियें। (अबुदाऊद–3157, बुख़ारी–जिल्द 2 सफ़ा–331)
7. शहीद के लिए न कफ़न है और न गुस्ल। उसी हाल में और उन्हीं कपड़ो में शहीद को दफ़न करना चाहिये।(अबुदाऊद–3135, इब्नेमाजा–1514–हसन)
8. मय्यतें ज़्यादा और कफ़न कम हों तो एक कफ़न में एक से ज़्यादा मय्यतें दफ़न की जा सकती हैं। (अबुदाऊद–3215, इब्ने माजा, नसाई–2014–सही)
9. मेहरम को एहराम की उन्हीं चादरों में कफ़न देना चाहिये जो उसने पहन रखा हो। (अबुदाऊद–3238–हसन)
10. मेहरम और शहीद के अलावा बाक़ी मय्यतों पर गुस्ल और कफ़न के बाद ख़ुश्बु लगाना जाइज़ है। (अबुदाऊद–3241, नसाई–1907–हसन)
11. किसी नबी, वली या बुज़ुर्ग के लिबास का कफ़न मय्यत को अज़ाब से नहीं बचा सकता। (तिर्मिज़ी–सही)

12. कफ़न बनाने क़ब्र खोदने और गुस्ल देने की उजरत मय्यत के माल से अदा करना जाइज़ है। इसके बाद कर्ज़ अदा करना और वसीयत पर अमल करना है। (बुख़ारी–1274–जिल्द–2 सफ़ा–338)

जनाज़े के मसाइल

1. जनाज़ा ले जाने में जल्दी करना चाहिये। (बुख़ारी–1315, मुस्लिम–1601, अबुदाऊद–3181)

2. जनाज़े के साथ जाना मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है। (बुख़ारी–1239–40 मुस्लिम)

3. औरतों का जनाज़े के साथ न जाना अफ़ज़ल है। (बुख़ारी–1278, मुस्लिम–1587)

4. जिस जनाज़े के साथ ख़िलाफ़े शरअ काम हों उसके साथ नहीं जाना चाहिये। (इब्ने माजा–हसन)

5. जनाज़े के साथ ख़ुश्बू या आग वग़ैरह ले जाना मना है (अबुदाऊ–3171–हसन)

6. जनाज़े के साथ ऊंची आवाज में कलमा तय्यैबा का विर्द करना या क़ुरआनी आयात पढ़ना मना है। (बैहक़ी–हसन)

7. जनाज़े के साथ दाये–बाएं या आगे–पीछे चलना जाइज़ है। (तिर्मिज़ी–887, अबुदाऊद–3180–सही)

8. जनाज़े के साथ सवारी पर जाना जाइज़ है लेकिन सवार को जनाज़े के पीछे चलना चाहिये। (अबुदाऊद–3180, तिर्मिज़ी–888 सही)

9. जब तक जनाज़ा ज़मीन पर न रखा जाए उस वक़्त तक बैठना नहीं चाहियें। (बुख़ारी–1309, मुस्लिम–1622)

10. जनाज़ा उठाने के बाद वुज़ू करना बेहतर है। (अबुदाऊद–3161, हाकिम, बैहक़ी– हसन)

नमाज़े जनाज़ा के मसाइल

1. नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले को एक क़ीरात और इसके साथ दफ़न तक रूकने वाले को दो क़ीरात यानि दो बड़े पहाडो के बराबर सवाब मिलता है। (बुख़ारी–47,325, मुस्लिम–1605)

2. नमाज़े जनाज़ा में सिर्फ़ क़याम है, जिसमें चार तक्बीरें है। न रूकूअ है और न सज्दा। (बुख़ारी–1321, मुस्लिम,1615, अबुदाऊद–3196, इब्ने माजा–1504)

3. ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज है। (बुख़ारी–1245, मुस्लिम–1610, 1611)

4. पहली तक्बीर के बाद सूरह फ़ातेहा पढ़ना चाहिये। (बुख़ारी–1335, अबुदाऊद – 3198, इब्ने माजा–1495)

5. पहली तक्बीर के बाद सूरह फ़ातेहा, दूसरी के बाद दुरूद शरीफ़ तीसरी के बाद दुआ और चौथी तक्बीर के बाद सलाम फेरना चाहिये। (अबुदाऊद–3198–सही)

6. नमाज़े जनाज़ा में आहिस्ता या बुलन्द आवाज़ से क़िराअत करना दोंनो तरह जाइज़ है। (नसाई–1991–सही)

7. सूरह फ़ातेहा के बाद क़ुरआन की कोई दूसरी सूरह साथ मिलाना भी जाइज़ है। (अबुदाऊद–3198, नसाई–1991)

8. तीसरी तक्बीर के बाद अगर मय्यत बालिग़ हो तो यह दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मग फ़िरली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व ग़ायिबना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़कारिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहय्यतहू मिन्ना फ़हयिही अलल इस्लाम।वमन तवफ़्फ़यतहू मिन्ना फ़ त वफ़फ़हू अलल ईमान '' यानि या अल्लाह! हमारे जिन्दों को और मुर्दो को, हाज़िर व ग़ायब को छोटों और बड़ों को मर्दो और औरतों को बख़्श दे। या अल्लाह! हम में से जिस को तू ज़िन्दा रखे उसे इस्लाम पर जिन्दा रख और जिसे मारना चाहे उसे ईमान पर मौत दे।'' (अबुदाऊद–3201, इब्ने माजा–1498–सही)

9. बच्चे के जनाज़े में यह दुआ पढ़ना चाहिये। ''अल्लाहुम्मा अजअल हुलना सलफ़न व फ़रतन व ज़ुख़रन ''यानि'' या अल्ला! इस बच्चे को हमारे लिए पेशवा, पेशरू ज़ख़ीरा और बाइसे अज्र बना दे।'' (बुख़ारी–जिल्द–2 सफ़ा–382)

10. नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए इमाम का मर्द मय्यत के सर और औरत के बीच में खड़ा होना चाहिये(बुख़ारी–1332, इब्नेमाजा–1494, अबुदाऊद–3194, मुस्लिम–1632)

11. नमाजे जनाज़ा की चारों तक्बीरों में हाथ उठाना (रफ़ायदैन करना) चाहिये। (जुज़ रफ़ायदैन–बुख़ारी–1321)
12. नमाज़ में दोनों हाथ सीने पर बांधना चाहिये। (अबुदाऊद–759, सही इब्ने खुज़ैमा–479)
13. नमाजे जनाज़ा में सिर्फ़ एक सलाम कहकर भी नमाज़ ख़त्म करना जाइज़ है। (दारकुत्नी, हाकिम, बैहक़ी–हसन)
14. लोगों की तादाद के मुताबिक़ सफ़े कम या ज़्यादा बनाई जा सकती है। (बुख़ारी–1317, मुस्लिम–1614)
15. जिस मोहिद शख़्स की नमाजे जनाज़ा में चालीस मौहिद आदमी हों, अल्लाह उसकी मग्फ़िरत फ़रमा देता है। (अबुदाऊ–3170, मुस्लिम–1608)
16. मस्जिद में नमाजे जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। (अबुदाऊद–3190–सही)
17. औरत मस्जिद में नमाजे जनाज़ा अदा कर सकती है। (मुस्लिम1646)
18. क़ब्रिस्तान में नमाजे जनाज़ा पढ़ना मना है। (तबरानी–हसन)
19. क़बिस्तान से अलग तन्हा क़ब्र पर नमाजे जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। (मुस्लिम–1616, अबुदाऊद–3203)
20. मय्यत दफ़न हो चुकने के बाद भी नमाजे जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। (बुख़ारी–1336, मुस्लिम–1615)
21. एक से ज़्यादा मय्यतों पर एक ही नमाजे जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। (मौत्ता मालिक–537)
22. जनाज़े मर्द व औरत दोनों के हों तो मर्द की मय्यत इमाम के क़रीब और औरत की मय्यत क़िब्ले की तरफ़ होना चाहिये। (अबुदाऊद–3193, मौत्ता मालिक–537)
23. तीन वक़्तों (जब सूरज निकलने लगे, जब दोपहर हो और जब सूरज डूबने लगे) में नमाजे जनाज़ा पढ़ना मना है। (अबुदाऊद–3192, इब्नेमाजा–1519, तिर्मिज़ी–904–सही)

तदफ़ीन के मसाइल

1. क़ब्र गहरी, चौड़ी और साफ़–सुथरी होना चाहिये। (अबुदाऊद–3215–सही)
2. क़रीबतरीन रिश्तेदारों को चाहिये कि मय्यत को क़ब्र में उतारें। (हाकिम, बैहक़ी–सही)
3. ज़रूरत के वक़्त एक क़ब्र में एक से ज़्यादा मय्यतें दफ़न की जा सकती है। (इब्ने माजा–1560–सही)
4. शौहर अपनी बीवी की मय्यत को क़ब्र में उतार सकता है। (इब्नेमाजा–हसन)
5. मय्यत क़ब्र में रखते वक़्त यह दुआ ''बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलुल्लाहि सल्लललाहु अलैहि व सल्लम'' पढ़ना मसनून है। (मुस्लिम–1550, अबुदाऊद–3213)
6. क़ब्र पर तीन मुट्टी मिटटी डालना सुन्नत है (मुस्लिम–1565, मिश्कात–1628–सही)
7. ज़मीन से क़ब्र की ऊचाई एक बालिश्त से ज़्यादा नहीं होना चाहिये। (अबुदाऊद–3220–सही)
8. क़ब्र ऊची बनाना, पक्की बनाना या क़ब्र पर मज़ार बनाना या कोई तामीर करना मना है। (अबुदाऊद–3225–सही)
9. क़ब्र पर नाम, तारीखे वफ़ात या कुछ और लिखना मना है। (अबुदाऊ–3226, इब्नेमाजा–1564,नसाई–सही)
10. क़ब्र पर बतौर निशानी पत्थर गाढ़ना सही है। (इब्ने माजा–1561, अबुदाऊद–3206–सही)
11. दफ़न के बाद क़ब्र पर पानी छिड़कना जाइज़ है। (इब्ने माजा–1551, मिश्कात–1618सही) 12. रात में दफ़न करना जाइज़ है। (बुख़ारी–1247)
13. तीन वक़्तों (सूरज निकलने, सूरज सरपर होने और सूरज के डूबते वक़्त) में मय्यत को दफ़न करना मना है। (इब्ने माजा–1519, मुस्लिम)
14. दफ़न हो जाने के बाद मय्यत से सवाल होते है। (तिर्मिज़ी–हसन)
15. दफ़न के बाद क़ब्र पर खड़े रहकर मय्यत के लिए सवाल जवाब के वक़्त साबित क़दम रहने की दुआ करना चाहिये। (अबुदाऊद–3221–सही)
16. क़ब्र में अज़ाब होता है उससे पनाह मांगना चाहिये। (बुखारी–1377, तिर्मिज़ी–942)
17. मय्यत को कब्र में सुबह व शाम उसका ठिकाना (जन्न्त या जहन्नम) दिखाया जाता है। (बुख़ारी–1379, मुस्लिम–7418)

18. मौमिन मुर्दे की हडडी तौड़ना या काटना ज़िन्दा इन्सान के अअज़ा तोड़ने या काटने जैसा है। (अबुदाऊद–3207, इब्ने माजा–1616–हसन)

ज़ियारते कुबूर के मसाइल

1. दुनिया से बेरग़बी हासिल करने और आख़िरत को याद करने की नीयत से क़ब्रो की ज़ियारत करना जाइज़ है। (इब्ने माजा–1571, अबुदाऊद–3235–सही)
2. चीख़ व पुकार न करने वाली औरतें भी क़ब्रो की ज़ियारत कर सकती है। (बुख़ारी–1583)
3. बकसरत क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्ल. ने लअनत की है। (इब्नेमाजा–1574–हसन)
4. क़ब्रों की ज़ियारत करते वक़्त पहले अहले कुबूर को सलाम कहना, फिर दुआ व अस्तग़फ़ार करना चाहिये। (मुस्लिम–1650)
5. अहले कुबूर के लिए दुआ करते वक़्त अपने लिए भी दुआ करना चाहिये। (इब्नेमाजा–1547, मुस्लिम–1650)
6. ज़ियारते कुबूर के वक़्त यह दुआ करना मसनून है। ''अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयारि मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम व ललाहिकून। नसअल्ललाहु लना वला कुमुल आफ़िया ''यानि '' ऐ इस घर के मोमिनों और मुसलमानों!अस्सलामु अलैकुम! हम इन्शाअल्लाह तुम्हारे पाास आने वाले है। हम अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए ख़ैर व आफ़ियत चाहते है। '' (अबुदाऊद–3235, मुस्लिम–1650, इब्ने माजा–1547)
7. दुआ करते वक़्त अल्लाह तआला के अस्मा ए हुस्ना, इस्मे आज़म उसकी सिफ़ात और अपने नेक आमाल का वसीला लेना जाइज़ है। (मुसनद अहमद–सही)
8. किसी नबी वली या, बुजुर्ग की क़ब्र पर दुआ करते हुए उन्हें अपनी हाजात पेश करना या अल्लाह से हाजात पूरी कराने की दरख्वास्त करना या उनसे मुरादें मांगना मना है। (बुख़ारी–32)
9. क़ब्रिस्तान में या किसी मज़ार पर बैठकर कुरआन पढ़ना मना है। (मुस्लिम–1337, जिल्द–2 सफा–270)
10. क़ब्रिस्तान या किसी मज़ार पर नमाज़ पढ़ना या इबादत करना मना है। (बुख़ारी–1341, अबुदाऊद–3229)
11. क़ब्र या मज़ार पर मस्जिद बनाना या मस्जिद में क़ब्र या मज़ार बनाना मना है। (मुस्लिम– 857, बुख़ारी–1341)
12. ऐसी मस्जिद जिसमें क़ब्र या मज़ार हो उसमें नमाज़ पढ़ना मना है। (बुख़ारी–1330, अबुदाऊद–3227)
13. क़ब्रो या मज़ारों पर चाहे वो नबीयों की हो या औलिया की चढ़ावा चढ़ाना, नज़र–नियाज़ देना या मन्नत मांगना मना है। (मुसनद अहमद सही)
14. नबीयों, वलीयों की क़ब्रों के सामने सर झुकाकर खड़े होना या नमाज़ की तरह हाथ बांधे खड़े रहना, सज्दा करना या उनका तवाफ़ करना मना है (अबुदाऊद–3236–सही)
15. किसी नबी, वली या बुजुर्ग की क़ब्र पर उर्स या मेला लगाना मना है। (मुसनद अहमद–सही)
16. क़ब्रो या मज़ारों का मुजावर बनना मना है। (मुस्लिम–1639, 1641)
17. किसी क़ब्र या मज़ार पर जानवर ज़िब्ह करना, मिठाई, दूध, चावल, या खाना वग़ैरह बांटना मना है। (अबुदाऊद–3222–सही)
18. बरकत हासिल करने, औलाद मांगने या शिफ़ा हासिल करने की नीयत से क़ब्र या मज़ार पर बाल या धागा वग़ैरह बांधना मना है। (मुसतरद हाकिम, मुसनद अहमद (हसन)
19. किसी नबी या वली की क़ब्र या मज़ार की ज़ियारत करने के इरादे से सफ़र नहीं करना चाहिये। (बुख़ारी–1189, मुस्लिम–2510–11)4

माखूज़

जनाज़े के मसाइल

मुहम्मद इक़बाल कीलानी